खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, दो युवकों की मौके पर ही मौत

शिमला। शिलाई विधानसभा के अन्तर्गत बड़वास में एक पिकअप नंबर एचपी-85-0197 दुर्घटनाग्रस्त हो कर खाई में गिर गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गुड्डू नेगी निवासी एराना पीओ बालीकोटी, शिलाई और मुकेश गांव बटियानाश, शिलाई के रूप में हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रस्से के सहारे खाई से शवों को बाहर निकाला। नायब तहसीलदार कमरऊ ओम प्रकाश ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है।

नित्थर-रामपुर सड़क पर बजौरीखड्ड में रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टला। दूध की सप्लाई लेकर जा रहे टैंकर का स्टेयरिंग फ्री हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सड़क पर टैंकर फंसने के कारण वाहनों की आवाजाही दोपहर बाद तक बाधित रही। जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह एक टैंकर एचपी 51बी 1024 नित्थर से रामपुर की ओर दूध की सप्लाई लेकर जा रहा था। सुबह करीब आठ बजे जैसे ही चालक बजौरीखड्ड के पास पहुंचा, तो टैंकर का स्टेयरिंग फ्री हो गया। चालक ने सूझबूझ से टैंकर को पहाड़ी की ओर किया और टैंकर गहरी खाई में जाने से बच गया। उसके बाद घंटों तक नित्थर रामपुर सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध रही। नित्थर से रामपुर की ओर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई। इस कारण कई वाहन फंसे रहे।

हालांकि, नित्थर के युवाओं ने सड़क के एक ओर पत्थरों का छोटा सा डंगा लगाकर छोटे वाहनों के लिए सड़क को बहाल किया। दोपहर तक बड़े वाहन चालक और यात्री परेशानी झेलते रहे।

एचआरटीसी को खत्म करने की साजिश! बीते 8 सालों में एचआरटीसी के वोल्वो रूट रह गए करीब आधे

शिमला। बीते 8 सालों में एचआरटीसी के वोल्वो रूट करीब आधे रह गए हैं जबकि बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे रूट करीब दोगुने हो गए हैं। मनाली-दिल्ली, शिमला-दिल्ली, धर्मशाला-दिल्ली सहित कई अन्य रूटों पर पहले के मुकाबले वोल्वो सेवाएं कम हो गई हैं। हालांकि निगम ने हिम दर्शन डीलक्स बस सेवा का भी संचालन शुरू किया है।

मनाली-दिल्ली रूट पर पहले जहां एचआरटीसी 7 वोल्वो चलाता था अब 4 ही वोल्वो का संचालन कर रहा है। बाहरी राज्यों के निजी वोल्वो ऑपरेटर नियमित तौर पर 25 से 30 वोल्वो चला रहे हैं, टूरिस्ट सीजन में इनकी संख्या 150 से 200 वोल्वो रोजाना पहुंच जाती हैं। शिमला-दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की वोल्वो सेवा 11 से घटकर 6 रह गई है। हालांकि तीन हिम दर्शन डीलक्स बस सेवा शुरू की गई है। इस रूट पर रोजाना 15 से 20 निजी वोल्वो चल रही हैं।

धर्मशाला-मैक्लोडगंज-दिल्ली रूट पर पहले निगम की 4 वोल्वो चलती थीं अब एक ही वोल्वो और 2 हिम दर्शन बसें चल रही हैं, जबकि 10 से 15 निजी वोल्वो रोजाना संचालित हो रही हैं। मनाली-चंडीगढ़ रूट पर पहले एचआरटीसी 4 वोल्वो चला रहा था, अब 4 वोल्वो के साथ एक हिम दर्शन बस भी चलाई जा रही है। निजी वोल्वो संचालक इस रूट पर 25 से 30 वोल्वो चला रहे हैं। निजी वोल्वो में एचआरटीसी की तर्ज पर ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। किराया भी एचआरटीसी से कम रहता है। शिकायतों के बाद कई बार परिवहन विभाग कार्रवाई करता है लेकिन नियमित जांच न होने के कारण कुछ दिन बंद होने के बाद निजी वोल्वो संचालन दोबारा शुरू हो जाता है।

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पाबंदियों के चलते बीएस-6 बसों को ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति के कारण इन दिनों दिल्ली रूट पर वॉल्वो का संचालन प्रभावित चल रहा है।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 111वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013
शाखा का पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, Sco-20, द्वितीय तल, सेक्टर-26-ए, चंडीगढ़ 160012

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु नोटिस
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ नियम 9(1) के अंतर्गत)
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के साथ पठित

आम जनता को तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता, या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (उधारकताओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास बंधक है। जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह-उधारकताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए 23-01-2025 को "जैसा है जहां है" और "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" और बिना किसी सहारे के आधार पर" बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री में किसी भी प्रकार के स्थगन/विराम की अनुपस्थिति में, उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति/संपत्ति को 22-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट युक्त सीलबंद लिफाफा 23-01-2025 को शाम 5.00 बजे तक टीसीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को शाखा पते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ-20, द्वितीय तल, सेक्टर-26-ए, चंडीगढ़ 160012 पर जमा किया जाना चाहिए।
सुरक्षित परिसंपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरण के अनुसार ह्जैसी है जहां स्थिति है के आधार पर होगी;

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं का नामकानूनी उत्तराधिकारीओं/ कानूनी प्रतिनिधि/गारंटरओं का नाम	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जा प्रकार	ओ/एस 30-12-2024 को
1.	10177056 & TCHHF0349000100066587	श्री. राजेश गुप्ता पुत्र श्री. रतन लाल, श्रीमती. सीमा देवी उर्फ श्यामा डेविल पत्नी श्री. राजेश गुप्ता	ऋण खाता संख्या 10177056 के तहत आपके द्वारा 64,83,435/- रुपये बकाया और भुगतान योग्य हैं और ऋण खाता संख्या TCHHF0349000100066587 के तहत आपके द्वारा 11,47,282/- रुपये की राशि बकाया और भुगतान योग्य है, यानी कुल 76,30,717/- रुपये और 15-10-2022	रु. 75,00,000/- (पचहत्तर लाख रुपए मात्र)	7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपए मात्र)	भौतिक	अनुबंध संख्या 10177056 के तहत आपको 92,13,413/- रुपए का भुगतान करना है तथा अनुबंध संख्या TCHHF0349000100066587 के तहत आपको 15,29,987/- रुपए का भुगतान करना है, जो कुल मिलाकर 1,07,43,400/- रुपए है।

अचल संपत्ति का विवरणः वह सब टुकड़ा और पार्सल :1. आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 00-02-91 हेक्टेयर, खेवट/खतौनी नंबर 86/114, खसरा नंबर 862/78 में सम्मिलित, मौजा टकसाल, परगना भगेत, तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं सहित।
2. आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 00-05-86 हेक्टेयर, खेवट/खतौनी नंबर 86/114, खसरा नंबर 878/77, जमाबंदी 2008-09 के अनुसार, किते 03, मौजा टकसाल, परगना भगेत, तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं सहित।
नोटः - नोटः उधारकर्ता द्वारा टीसीएचएफएल के खिलाफ दायर एसए (एसए/27/2023) डीआरटी, चंडीगढ़-क्कके समक्ष लंबित है। उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। बोलीकताओं को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी संबंधित मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आगे ब्याज सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति को निर्धारित समय के अनुसार बेचा जाएगा। यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो ई नीलामी रोक दी जाएगी। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, अधिग्रहण नहीं करेगा या अधिग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः
नोटः संपत्तियों की ई-नीलामी 23-01-2025 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से 5 मिनट के सीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम व शर्तेः 1. नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अचल संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक के अधीन एक बार फिर नीलामी के लिए रखा जाएगा। **2.** अचल संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। **3.** बोली वृद्धि राशि होगीः रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपये) **4.** संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर बताए अनुसार बयाना राशि जमा करनी होगी, जो टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी। शाखा पते पर देय होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। NEFT/RTGS/IMPS के माध्यम से EMD के भुगतान के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5.** सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और यह भी कि बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना उचित नहीं है, तो उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। **6.** दर्ज कारणों से, बिक्री को स्थगित/बंद करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। **7.** अचल संपत्ति का निरीक्षण 17-10-2025 को पूर्व नियुक्ति के साथ सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच किया जा सकता है। **8.** सफल बोलीदाता घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि/बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत, जिसमें ईएमडी राशि भी शामिल होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और ऐसी जमा राशि जमा न करने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा तत्काल नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। **9.** यदि प्रारंभिक जमा उपरोक्त अनुसार किया जाता है, तो देय क्रय राशि की शेष राशि क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर भुगतान की जाएगी। **10.** ऊपर बताई गई अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा नए सिरे से नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर सभी दावे खो देगा। **11.** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी हैः उपरोक्त तालिका के अनुसार। संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए दावे, यदि कोई हों, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरणः उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, जिसमें संपत्ति कर, बिजली आदि के वैधानिक दायित्व क्षेत्र शामिल हैं। **12.** किसी अन्य विवरण या नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नंबर 605 ए, छठी मंजिल, मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038 से इसके समन्वयक कर्नाटक और गोवा, मोबाइल नं.8142000809 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। srinivas@bankauctions.in और तेलंगाना और एपी मोबाइल नं. 8142000064, prakash@bankauctions.in और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य मोबाइल नं. 814200030, pradhan@bankauctions.in और तमिलनाडु और केरल मोबाइल नं. 8142000735, dinesh@bankauctions.in और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तरी राज्य मोबाइल नं. 9515160064, prakash@bankauctions.in महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मोबाइल नंबर 8142000725, Arijit@bankauctions.in और ईमेलः info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696. कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर - 9999078669 पर भेजें **13.** उच्चतम घोषित बोली राशि पर 1% का टीडीएस लागू होगा और उच्चतम बोलीदाता द्वारा देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ताओं के पैन में जमा किया जाना चाहिए और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। **14.** कृपया उपरोक्त विवरण के लिए सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट http://surl.li/osiemz पर दिए गए नीचे दिए गए लिंक को देखें। **15.** कृपया इस लिंक पर भी जाएँ: https://www.tatacapital.com/property-disposal.html
कृपया ध्यान दें - TCHFL ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल नीचे हस्ताक्षरकर्ता या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थानः हिमाचल
दिनांकः 06-01-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विकासनगर लिफ्ट के लिए अब चुकाने होंगे दस रुपये, निशुल्क सुविधा खत्म

शिमला। विकासनगर में दो सालों से लोगों को लिफ्ट में सफर करने की मिल रही निशुल्क सुविधा खत्म हो गई है। अब लोगों को यहां पर सफर करने के लिए दस रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इंदौर की कंपनी ने लिफ्ट के रखरखाव का जिम्मा संभालते ही नई व्यवस्था लागू कर दी है।

पहले चरण में तैयार की गई लिफ्ट का वर्ष 2022 में उद्घाटन किया जा चुका है। यह लिफ्ट विकासनगर पुलिस चौकी से छोटा शिमला के ब्रॉकहास्ट तक तीन चरणों में बनाई जा रही है। पांच करोड़ से निमार्णाधीन लिफ्ट का कार्य रोपवे कॉरपोरेशन करवा रहा है। वर्तमान में प्रथम चरण में विकासनगर चौकी से लेकर विकासनगर-बीसीएस एनएच मार्ग लिफ्ट संचालित हो रही है। इसी भाग का कंपनी ने लोगों से शुल्क वसूल करना शुरू कर दिया है।

अभी विकासनगर क्षेत्र के लोगों को छोटा शिमला जाने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहां के लिए अभी कोई बस या टैक्सी की सुविधा नहीं है।

लिफ्ट बनने से लोग चार से पांच मिनट के भीतर विकासनगर से छोटा शिमला पहुंच जाएंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले- मंत्री-विधायकों के कमरों में ठहरे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट

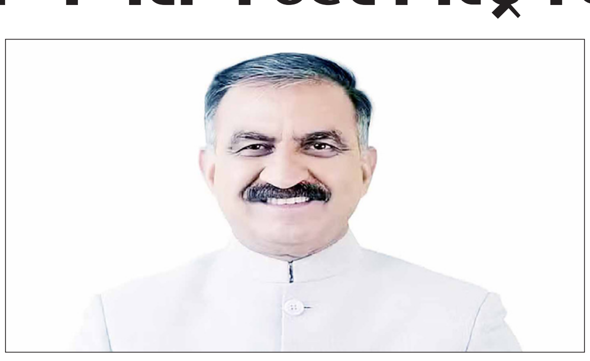

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को रात्रि ठहराव के दौरान उन कमरों में ठहराया जा रहा है, जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। कहा कि कांगड़ा के लुथान में 93 करोड़ रुपये से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का शिलान्यास किया गया है, जहां 400 आश्रितों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

रविवार को सीएम ने जारी बयान में कहा कि बुनियादी सुविधाओं, समुचित देखभाल और धन के अभाव के साये में पल रहे निराश्रित बच्चों के लिए सरकार बड़ा सहारा बनी है। सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर अभिभावक के रूप में इन्हें अपनाया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है, जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष गठित किया गया है। सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है।

हाल ही में सीएम सुक्खू ने 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 13 दिवसीय भ्रमण पर भेजा। इस दौरान वह चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण करेंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं, जिससे वह आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकें और मधुर स्मृतियों के साथ लौटें।

उनकी आरामदायक यात्रा के लिए हवाई यात्रा और शताब्दी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बच्चों के इस दल ने 2 से 4 जनवरी तक चंडीगढ़ शहर का भ्रमण किया, जहां उन्हें हिमाचल भवन में ठहराया गया। 5 को वह शताब्दी ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और 8 जनवरी तक वहीं ठहरकर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे।

शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी करता रहा पीछा; ट्रैफिक पुलिस से शिकायत

शिमला। राजधानी शिमला की लोकल बस में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना पेश आई है। इस मामले में एक बुजुर्ग पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि 4 जनवरी को रात 7:15 बजे के करीब वह टुटीकंडी से निजी बस में पुराना बस स्टैंड की ओर सफर कर रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उसे गलत तरीके से स्पर्श किया। इसके बाद युवती बस से उतर गई और पैदल ही आगे की ओर चलने लगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान भी आरोपी उनका पीछा करता रहा। इसको देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से मदद मांगी। इसके बाद आरोपी को पुलिस कर्मचारी ने रोका। मामले की सूचना बालूगंज पुलिस स्टेशन को दी गई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले- पानी घोटाले में कांग्रेस नेता व ठेकेदारों को बचा रही सरकार

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुक्खू सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। अब पानी घोटाला चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जलशक्ति विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री चंद अधिकारियों पर कारवाई कर मामला दबाने में लगे हुए हैं वहीं, मुख्यमंत्री उन सरकारी संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों और कांग्रेस नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। उपमुख्यमंत्री गला फाड़ फाड़ कर सुक्खू सरकार का दामन पाक साफ होने का दावा कर रहे थे और इधर उनके अपने विभाग में स्कूटर पर पानी ढोकर करोड़ों का घोटाला हो गया। लोगों को पानी पिलाने के नाम पर सत्ता के संरक्षण में फर्जी बिल तैयार कर सरकारी खजाने की लूट होती रही और सरकार सोती रही।

उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में और भी चर्चित घोटाले हुए, लेकिन सत्ता के संरक्षण में बिना सड़को कें टैंकर दौड़ाने और पानी की ढुलाई में कार और मोटर साइकिल का इस्तेमाल करने वाला इकलौता राज्य बन गया। पहली बार शिमला के ठियोग में हुए लगभग सवा करोड़ रुपए के पानी आपूर्ति घोटाले मामले में स्कूटर और मारूति कारों पर पानी की आपूर्ति की गई।

इसमें आरटीआई के माध्यम सभी वाहनों के नंबर और लोगों के नाम भी उजागर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री घोटाले में अधिकारियों के साथ संलिप्त कांग्रेस नेता और ठेकेदारों को बचाने में लगे हुए हैं।

इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दो साल से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है।

हिमाचल में भाजपा ने नौ जिला अध्यक्ष किए नियुक्त, सात जिलों में कल होगा चुनाव

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर रविवार को नौ संगठनात्मक जिलों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ज्यादातर जगह शांतिपूर्वक चुनाव हुए और सभी नौ जिलों में निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 17 संगठनात्मक जिले हैं। जिसमें से 16 में चुनाव प्रक्रिया चली हुई है।

अन्य 7 जिलों में सोमवार यानी 6 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में हो रहे संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. राजीव भारद्वाज ने बताया कि सर्वसम्मति से नौ जिलों में चुनाव पूरे हो गए हैं। अन्य सात जिलों में भी सोमवार तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य स्तर के बड़े नेताओं को दी गई है।

चंबा से धीरज नरयाल, पालमपुर से रागिनी रकवाल, देहरा से अजय खट्टा, कुल्लू से अमित सूद, सुंदरनगर से हीरा लाल, मंडी से निहाल चंद शर्मा, सोलन से रतन सिंह पाल, सिरमौर से धीरज गुप्ता और लाहौल स्पीति से रिंगजिन हरियाप्पा को अध्यक्ष चुना गया है। सुंदरनगर से अध्यक्ष बने हीरा लाल जिला मंडी के तहत आने वाले करसोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। इसी तरह रतन सिंह पाल जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र से दो बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संगठनात्मक जिला मंडी और सुंदरनगर में आयोजित संगठन पर्व जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया और मंडी से निर्वाचित निहालचंद शर्मा और सुंदर नगर से पूर्व विधायक हीरालाल को पुनः नया दायित्व मिलने पर मिलकर बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के नौ संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष का चयन हो चुका है इसमें सोलन से रत्न पाल सिंह, कुल्लू से अमित सूद चंबा से धीरज नरयाल, पालमपुर से रागनी रकवाल, लाहौल स्पीति से रिंग जिन हरियाप्पा, सिरमौर से धीरज गुप्ता, देहरा से अजय खट्टा को दायित्व दिया गया है।